फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी | **अप्रार्थीगण**

रामनिवास वगैरह | बनाम | जगदीशराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र | मुकदमा नं. 15/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
02.03.2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एस. कालवी ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा भाई–बहन है, इनके पुश्तैनी बढेर के खेताय ग्राम पीण्डिया, तहसील–जायल में खसरा नं. 581/267, 583/300 के रूप में स्थित है। उक्त भूमि की वर्तमान में खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम है। उक्त खेताय की भूमि में प्रार्थी का 1/8 हक हिस्सा भी निहित है तथा उक्त खसरान की भूमि अविभाजित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 खातेदारी की आड़ में उक्त जमीन में से हिस्सा विशेष की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन इत्यादि करने पर आमादा है। यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में, सुविधा का संतुलन भी व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष है। अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के ग्राम–पीण्डिया, तहसील–जायल के खसरा नं. 581/267, 583/300 की भूमि का बैचान हस्तान्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला बाद बनाये रखे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड से मामला पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम–पीण्डिया, तहसील–जायल के खेत खसरा नं. 581/267, 583/300 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 05/04/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
16/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रा०पत्र से संबंधित मूल वाद सं. 45/2021 उनवान रामनिवास वि. जगदीशराम वगैरह खारिज किया जा चुका है। अत: प्रा०पत्र पोषणीय नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	रामनिवास Identified प्रार्थी

Scanned with CamScanner